भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीसीडी अनुभाग)

विषय : क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), रायपुर, छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचर के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस-के संबंध में

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी.14017/61/2008-स्था. (आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), रायपुर, छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचर के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव श्री अंबा दत्त बावरी, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं. 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110008 या ई-मेल address ad.bawari@nic.in पर भेज सकते हैं।

(अंबा दत्त बाबरी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23061510

नई दिल्ली
दिनांक: 24th अक्तूबर, 2018

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, ... 2018

सा.का.नि. .... राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर प्रयोगशाला परिचर, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2006 के अधिक्रमण में, इस अधिक्रमण से पहले किए गए या लोप किए गए संवर्गों को छोड़कर, एतदद्वारा क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर में प्रयोगशाला परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत:

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ – (1) इन नियमों को क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर प्रयोगशाला परिचर, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान- उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में ये स्तर या वेतनमान वहीं होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

4. अनर्हता- कोई व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह के लिए अनुबंध किया है जिसका पहले से कोई जीवित पति/पत्नी है, या

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह के लिए अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;

बशर्ते कि केंद्र सरकार संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्य आधार हैं, तो केंद्र सरकार इस नियम के प्रचालन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने का अधिकार- जहां केंद्र सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समयोचित है, तो वह आदेश द्वारा किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती हैं, जिसके कारणों को लिखित में अभिलेखित किया जाएगा।

6. बचत:- इन नियमों में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार व्यक्तियों की कोई अन्य विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अपेक्षित अन्य रियायतें प्रभावित हो।